सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष/Phone : 0141- 2708078, 2709177 फैक्स/ Fax: 2707090
ई-मेल/ E-mail : dco-raj.rgi@censusindia.gov.in

भारत की जनगणना CENSUS OF INDIA 2021

150 YEARS OF CELEBRATING

F.No. I-11022/1/2020/Census/166 दिनांक : 19/3/2020

प्रमुख जनगणना अधिकारी,
(समस्त जिला कलक्टर एवं
आयुक्त नगर निगम)

भारत की जनगणना 2021– परिपत्र संख्या–8

विषय :– मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिये प्रशिक्षण दिये जाने हेतु आवश्यक निर्देश।

प्रसंग :– भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की ओर से जारी परिपत्र संख्या–12 क्रमांक 21099/42/2020/ट्रेनिंग दिनांक 29.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र संख्या–12, जो कि भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवगण को भिजवाया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का श्रम करें। उक्त परिपत्र में जनगणना–2021 के प्रथम चरण मकानसूचीकरण व मकानों की गणना के संबंध में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु विस्तृत निर्देश जारी करते हुए राज्य स्तर पर निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

जैसा कि आपको विदित है कि जनगणना 2021 के प्रथम चरण का कार्य पूरे राष्ट्र में दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 की अवधि में करवाया जा रहा है। इस चरण के तहत मकानसूचीकरण, मकानों की गणना व राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। राजस्थान राज्य में मकानसूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य दिनांक 16.05.2020 से 14.06.2020 की अवधि में किया जाना है।

देश में जनगणना प्रति दस वर्ष के पश्चात् आयोजित की जाती है। इस कार्य को राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा पार्ट–टाईम आधार पर सम्पन्न किया जाता है। अतः इस कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व इसके लिए गहन प्रशिक्षण लिया जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जनगणना के सफल आयोजन में प्रशिक्षण का महत्व बहुत अधिक हो जाता है, ताकि आंकड़ों का समय पर गुणवत्ता सहित संकलन हो सकें। इस कार्य के सम्पादन हेतु समूचे देश में करीब 30 लाख प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की आवश्यकता होगी। साथ ही इसके प्रबन्धन और निगरानी के लिए लगभग 1,20,000 जनगणना पदाधिकारियों को जिला एवं चार्ज स्तर पर अधिसूचित किया गया है तथा लगभग 46,000 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय, मास्टर ट्रेनर व फील्ड ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है/दिया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षक इस विशाल एवं गहन प्रशिक्षण प्रक्रिया का संयोजन करेंगें। राजस्थान राज्य में जनगणना 2021 के प्रथम चरण के फील्ड कार्य हेतु प्रगणकों/सुपरवाईजरों की अनुमानित संख्या 1,38,000 है। ये प्रगणक/पर्यवेक्षक प्रत्येक मकान एवं परिवार की वांछित सूचना घर–घर जाकर एकत्रित करेंगें। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है कि प्रशिक्षण के दौरान जनगणना की अवधारणायें एवं परिभाषायें पूरी तरह समझायी जायें, जिससे कि फील्ड कार्य के दौरान सूचनायें एक दम सही एकत्रित की जा सकें।

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा परिपत्र संख्या–12 में मकानसूचीकरण व मकानों की गणना के लिये किये जाने वाले प्रथम चरण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की हैं :–

1. **मकानसूचीकरण हेतु प्रशिक्षण योजना** :– मकानसूचीकरण कार्य 2020 हेतु जनगणना पदाधिकारियों को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

1.1 प्रशिक्षकों एवं प्रगणक/पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण की संरचनाः–

i. जनगणना 2011 की भांति ही जनगणना 2021 के लिए भी प्रशिक्षण की पद के क्रमानुसार (Hierarchy) संरचना की है, जो कि त्रिस्तरीय प्रशिक्षण के रूप में सम्पन्न की जायेगी।

ii. पूरे देश में 98 राष्ट्रीय प्रशिक्षक (National Trainers) जिनमें भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय से 66 एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नामित 32 अधिकारी प्रशिक्षित किये गये हैं। जिनका प्रमुख दायित्व मास्टर ट्रेनर्स (Master Trainers) को प्रशिक्षित करना है। राजस्थान राज्य में 04 राष्ट्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षित किये गये हैं।

iii. इसी क्रम में पूरे देश में 1880 मास्टर ट्रेनर्स जिनमें 177 भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय और 1703 देश के विभिन्न राज्यों/जिलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये हैं, जो कि फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करेगें। राजस्थान राज्य में कुल 104 मास्टर ट्रेनर्स हैं, जिनमें से 93 राज्य सरकार से तथा 10 निदेशालय स्तर से हैं।

iv. समूचे देश में राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत 43,500 कार्मिकों को विभिन्न चार्जों के लिये फील्ड ट्रेनर्स नियुक्त किये गये हैं, जो कि राज्य के विभिन्न चार्जों के लगभग 30 लाख प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देगें। राजस्थान राज्य के लिए 2,431 फील्ड ट्रेनर्स का चयन किया गया हैं, जिनको निकट भविष्य में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा।

1.2 **जनगणना के अन्य पदाधिकारियों** (Other census functionaries) **को प्रशिक्षण :–** जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा जनगणना 2021 के कुशल आयोजन हेतु जनगणना के लिए अधिसूचित अन्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षण आगामी पैरा (i) से (v) के अनुसार दिया जाना है। उक्त प्रशिक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका व PPT के आधार पर दिया जाना है, जिससे कि पूरे देश में प्रशिक्षण की एक रूपता बनी रहें।

इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण की श्रेणियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

i. **जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान के अधिकारी/कार्मिक** :– जनगणना कार्य निदेशालय के समस्त अधिकारियों एवं जनगणना कार्य में लगे समस्त कर्मचारियों को मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों निगरानी एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण निदेशालय के राष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया है। प्रत्येक जिले के लिये निदेशालय के एक अधिकारी/कार्मिक को जिला प्रभारी बनाया गया है, जो कि जिले में जनगणना संबंधी कार्य का समन्वय करेगें।

ii. **राज्य/नॉडल/प्रमुख जनगणना अधिकारी :–** जनगणना 2021 के लिये राज्य में निदेशक व संयुक्त शासन सचिव, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान को नॉडल अधिकारी बनाया गया है। प्रमुख जनगणना अधिकारी (जिला कलक्टर व आयुक्त, नगर निगम) तथा सभांगीय आयुक्त को राज्य के मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण राज्य के सचिवालय में दिया जाना है। यदि सचिवालय में संभव नहीं हो सके तो राज्य के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्था (Administrative Training Institute) में आयोजित किया जा सकता है। उक्त प्रशिक्षण मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में आयोजित किया जा रहा है। इस उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त/अतिरिक्त महारजिस्ट्रार भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान की टीम द्वारा जनगणना 2021 के दौरान किये जाने वाले प्रमुख कार्यों की प्रस्तुतीकरण किया जावेगा।